Helpline 1064 94135-02834

# कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ जिला उदयपुर में आरोपी श्री राजेश कुमार मीणा, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना प्रतापनगर, उदयपुर 10,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 27 मई, मंगलवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी स्पेशल यूनिट उदयपुर द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री राजेश कुमार मीणा, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना प्रतापनगर, उदयपुर को परिवादी से **10,000/- रूपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा** ने बताया कि एसीबी स्पेशल यूनिट उदयपुर को दिनांक 26.05.2025 को एक शिकायत इस आशय की मिली कि पुलिस थाना प्रतापनगर के आरोपी स.उ.नि. द्वारा परिवादी को पुलिस थाना प्रतापगनर उदयपुर पर दर्ज प्रकरण में परिवादी एवं उसकी कार का नाम निकालने की एवज में आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 15,000/- रूपये की मांग की गई। एवं रिश्वत राशि नहीं देने पर परिवादी को जेल में बंद करने की धमकी दी गई। जिस पर दिनांक 26.05.2025 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता करवाई गई। जिसमें आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 15,000/- रूपये की मांग कर 10,000/- रूपये ग्रहण करने की सहमति देने की पुष्टि हुई।

जिस पर एसीबी रेंज कोटा के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री शिवराज** के सुपरविजन में एसीबी स्पेशल यूनिट उदयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजीव जोशी** के नेतृत्व में आज दिनांक 27.05.2025 को **पुलिस निरीक्षक श्री लक्ष्मण लाल डांगी** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री राजेश कुमार मीणा पुत्र स्व. श्री मुकेश कुमार मीणा, उम्र 44 वर्ष, निवासी बडापाल देवल पुलिस थाना सदर जिला डूंगरपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना प्रतापनगर जिला उदयपुर को परिवादी से अपनी मांग अनुसार 10,000/- रूपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों पकड कर रिश्वत राशि बरामद की गई।

आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।